हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। रूक रूक कर तीन बार आवाज दिलाई गई। न तो वकील उप. न ही वादी उप.। ऐसी स्थिति में न्यायालय उक्त वाद को आगे जारी रखना उचित नहीं समझता है। अतः वाद को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 18.11.22 को खुले इजलास सुनाया गया।	